7. स्पेशल सैल

7.1 प्रस्तावना

दिल्ली पुलिस का स्पेशल सैल राष्ट्रीय राजधानी की विशेष काउंटर टेरर यूनिट है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी में मादक और नशीली दवाओं के सिंडिकेट्स, बंदूक चलाने, एफआईसीएन (फेक इंडियन करेंसी नोट्स) सर्कुलेशन, साइबर-अपराधों और अन्य रूपों के आतंकवादी संबद्ध/सहायक अपराधिक गतिविधियों तथा अन्य संगठित अपराधिक गतिविधियों से संबंधित है। यह चार रेंज, स्वात[49] यूनिट, सिटी सस्पेक्ट सर्विलांस यूनिट, साइबर क्राइम यूनिट और अन्य सहायक इकाइयों/वर्गों के माध्यम से कार्य करती है।

मार्च 2019 तक, स्पेशल सैल की कुल संस्वीकृत संख्या 841 थी, जिसके प्रति 1265 कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सैल के लिए 1043 अतिरिक्त कर्मियों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भी पेश किए हैं। हालांकि, प्रस्तावों पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जाना शेष है।

7.2 रेंज

स्पेशल सैल में, चार कार्यशील रेंज (नई दिल्ली रेंज, दक्षिण-पश्चिमी रेंज, उत्तरी रेंज और दक्षिणी रेंज) हैं, जो कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की निगरानी और जांच, ठिकाने की जाँच, आतंकवादियों की आशंका के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने आतंकवादी/उग्रवादियों, गैंगस्टर, तस्कर, बंदूकधारी, जालसाज़, नशीले पदार्थ आदि और कोई भी अन्य मामलों जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को प्रभावित करते हैं के लिये उत्तरदायी है।

7.2.1 रेंजों में जनशक्ति

987 कर्मियों की आवश्यकता[50] के प्रति, चार रेंजों में वास्तविक तैनाती केवल 638 कर्मियों की है।

यह देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने पूर्वी रेंज को बनाने का प्रस्ताव (दिसंबर 2014) प्रस्तुत किया है, जो मौजूदा नई दिल्ली रेंज से दिल्ली के पूरे यमुना पार क्षेत्र को कवर करेगा, और इसके लिए 146 और 318 कर्मियों की आवश्यकता का आकलन क्रमशः पूर्वी रेंज और बाद में विभाजित नई दिल्ली रेंज के लिये किया गया। क्योंकि इस प्रस्ताव को चार साल से अधिक समय से स्वीकृति का इंतजार

---

[49] विशेष हथियार एवं टैक्टिस यूनिट

[50] स्पेशल सैल के प्रस्तावों के अनुसार

है, इसलिए यमुना-पार क्षेत्र अभी भी केवल नई दिल्ली रेंज के 236 कर्मियों द्वारा ही कवर किया जा रहा है। इस प्रकार, 464 कर्मियों की निर्धारित आवश्यकता के प्रति केवल 236 कर्मियों की तैनाती है जो कि इन 236 कर्मियों को बहुत कठिनाइयों में डाल रही है क्योंकि उनकी दैनिक ड्यूटी 16-18 घंटो की होती है।

7.2.2 रेंजों में वाहन

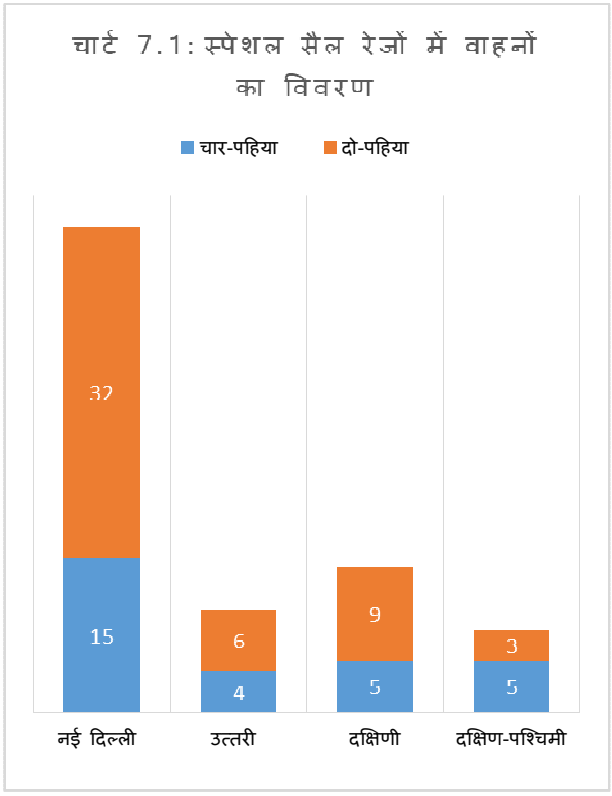

जनशक्ति में कमी के अतिरिक्त, रेंजों मे वाहनों की उपलब्धता में भी कमी है, जो कि कानून और व्यवस्था की स्थितियों के दौरान वास्तविक समय में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि रेंजों में ऑपरेशन के उद्देश्य से 47 चार पहिया और 125 दो पहिया वाहनों की आवश्यकता के विशेष सैल के आकलन (फरवरी 2018) के प्रति उनके पास में केवल 25 चार पहिया और 50 दो पहिया वाहन थे। इनमें से, प्रत्येक रेंज के लिए एक बुलेटप्रूफ (बीपी) लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) और एक बीपी मिनीबस की आवश्यकता के प्रति एक रेंज में तो इनमें से कुछ भी नहीं था, और शेष तीन रेंजों में बुलेटप्रूफ एलएमवी नहीं थे। रेंजों के लिए वाहनों की उपलब्धता में कमी का तुरंत समाधान करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी परिचालन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

7.2.3 रेंजों में बुलेटप्रूफ जैकेट्स और हथियार

रेंजों में सक्रिय ड्यूटी पर कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण (बुलेटप्रूफ जैकेट) के बारे में, बीपीआरडी/दिल्ली पुलिस द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, यह देखा गया कि उपलब्ध बीपी जैकेट्स की संख्या (105) रेंज में परिचालन/सक्रिय ड्यूटी पर तैनात कर्मियों (506) से कम थी। साथ ही, स्पेशल सैल ने 400 बीपी जैकेट्स के लिए (जनवरी 2019) अनुरोध किया है, जो दर्शाता है कि वर्तमान में रेंजों को उनके कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में बीपी जैकेट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जो नियमित रूप से खतरनाक और संवेदनशील ऑपरेशन करते हैं।

यद्यपि हथियारों और गोला-बारूद की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं थे, फिर भी दक्षिण-पश्चिमी रेंज की योग्यता समीक्षा में प्राथमिक हथियारों/साईड आर्मस (पिस्टल/रिवॉल्वर) की अनुपातहीन रूप से कमी थी (चार्ट 7.2)।

चार्ट 7.2: स्पेशल सैल रेंज में हथियारों का विवरण

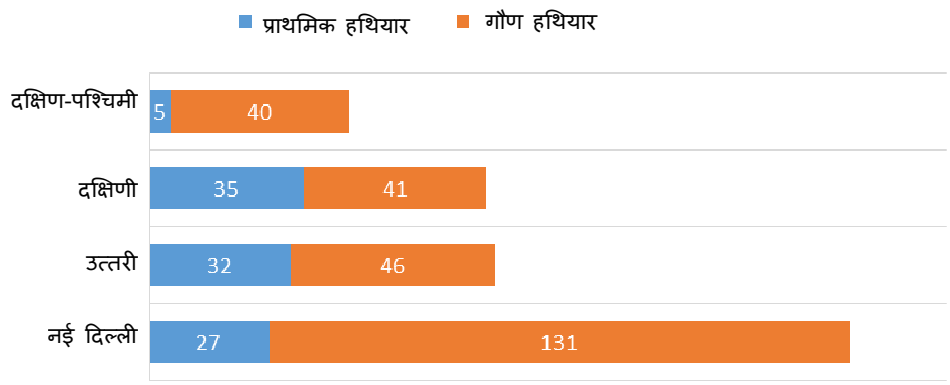

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि बुलेटप्रूफ जैकेट्स की खरीद का प्रस्ताव प्रगति में है और 7351 बुलेटप्रूफ जैकेट्स की खरीद के लिए टेंडर 29 जून 2020 में खोले जाने थे।

सरकार को दिल्ली पुलिस की पूर्वी रेंज 'के निर्माण के प्रस्ताव के विषय में अविलंब निर्णय लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पेशल सैल रेंज में तैनात जनशक्ति आवश्यकतानुसार हो। दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्पेशल सेल की परिचालन क्षमता प्रभावित न हो, जिसके लिए वाहनों (बुलेटप्रूफ वाहनों सहित) और बुलेटप्रूफ जैकेट्स की भारी कमी के मुद्दे का समाधान किया जाए।

7.3 स्वात कमांडो यूनिट

स्वात (स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स) कमांडो यूनिट में (मार्च 2019 तक) विशेष रूप से काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित 202 कमांडो शामिल हैं, और स्वात दल किसी भी आतंकवादी हमले को विफल करने और निरंतर तैयार स्थिति में रहने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहते हैं। स्वात का गठन (2009) दिल्ली में आतंकवादियों, गैंगस्टरों या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा किसी भी सशस्त्र आक्रमण के लिए पहली प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है। अप्रैल 2016 के दौरान, जब स्वात केवल एक जगह से मात्र 174 कर्मियों[51] के साथ काम कर रहा

[51] इंस्पेक्टर, एस.आई., कांस्टेबल

था, तो उसने दिल्ली में कम से कम तीन ठिकानों से काम करने के लिए 309 कर्मियों की कुल आवश्यकता का आकलन किया था ताकि त्वरित समय में जवाब दिया जा सके। मार्च 2019 तक, यद्यपि स्वात चार ठिकानों से संचालित हो रहा है, लेकिन कर्मियों की संख्या केवल 241 (202 कमांडो सहित) ही थी।

तत्पश्चात, गृ.मं. ने (नवंबर 2018) स्वात के लिए कुल 483 कर्मियों की स्वीकृति दे दी थी, और दिल्ली पुलिस द्वारा नए 242 पदों का चयन 3139 पदों में से किया जाना था, जो कि दिल्ली पुलिस की अन्य इकाइयों के लिए गृ.मं. द्वारा पहले ही संस्वीकृत थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जानी शेष थी। इस प्रकार, स्वात को मजबूत करने के प्रस्ताव पर चार साल और स्वात का उन्नयन करने के लिए गृ.मं. की स्वीकृति के छः महीने के बाद भी, यह अभी भी आवश्यक संख्या से कम कर्मियों के साथ काम कर रहा था (311 की आवश्यकता के विरुद्ध 202 कमांडो और डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्तों, के लिए क्रमशः 24 और 18 कर्मियों की आवश्यकता के प्रति शून्य तैनाती थी)। यह महत्वपूर्ण है कि स्वात टीम के साथ बम टेकनीशियन तथा डॉग स्क्वाड हो ताकि वह विस्फोटक उपकरणों को निरस्त करने में 'सेफ्टी' टीम की सुरक्षा बढ़ाने तथा मिशन को सफल बनाने की क्षमता के साथ काम कर सके।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वात टीमों के कमांडो को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सतर्क रहें व नवीनतम तकनीकों और रणनीति के विषय में जागरूक रह सके। हालांकि, यह देखा गया कि पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (पीटीसी) में कमांडो प्रशिक्षण के बाद विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई नीति नहीं थी, और 202 कमांडो में से केवल 38 ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। विशेष प्रशिक्षण के अलावा, एक वर्ष में पीटीसी में कमांडो कोर्स में भाग लेने वाले कमांडो की संख्या 2013 से 2018 की अवधि के दौरान 15 से 99 के बीच रही। इस संबंध में एक तंत्र को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिये ताकि समस्त कमांडो को नियमित रुप से प्रशिक्षित किया जा सके तथा निरंतर तत्परता के लिए सर्वांगीण विकास और शारीरिक व पेशेवर उन्नयन किया जा सके।

स्वात कमांडो के लिए सुरक्षात्मक गियर के बारे में, केवल 136 पुरानी बीपी जैकेट थीं जिनमें से अधिकांश बहुत खराब स्थिति में थी। यद्यपि स्वात यूनिट ने अपने कमांडो के लिए 245 बीपी जैकेट्स के लिए अनुरोध किया है (जनवरी 2019) लेकिन इस पर अभी कार्रवाई की जानी है। बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक वस्तु की अपर्याप्तता न केवल दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा किसी

सशस्त्र आक्रमण के मामले में कमांडो की दक्षता को कम करेगी, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल सकती है।

दिल्ली पुलिस ने जवाब (जून 2020) दिया कि 275 अतिरिक्त पदों के लिए अंतिम निर्णय अभी विचाराधीन है। दिल्ली पुलिस की समयबद्ध कार्य योजना के बारे में इस जवाब से कोई संकेत नहीं मिलता है।

7.4 साइबर क्राइम यूनिट

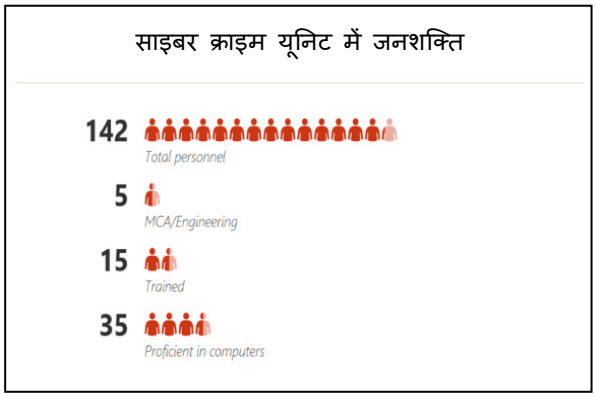

साइबर क्राइम यूनिट (सीसीयू) साइबर संबंधी अपराधों को हल करती है। यह ईमेल और वेबसाइटों तक हैकिंग/अनाधिकृत पहुंच/नेटबैंकिग-धोखाधड़ी, डाटा थेफ्ट, फ़िशिंग, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर नकली प्रोफ़ाइल, मैलवेयर घुसपैठ, अपराध के लिए प्रॉक्सी सर्वर और टीओआर ब्राउज़र का उपयोग, अपराध लाभों के निपटान के लिए क्रिप्टो मुद्राओं के उपयोग, फिरौती वेयर इत्यादि की जांच करती है। अतः सीसीयू के लिए वर्तमान माहौल की मांगों को पूरा करने के लिए अपने कर्मियों के कौशल का उन्नत करके प्रभावी पुलिसिंग के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित जनशक्ति होना अनिवार्य है। अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीसीयू में तैनात (अप्रैल 2019 तक) 142 कर्मियों में से केवल पाँच के पास ही तकनीकी[52] योग्यता थी, 15 सदस्यों ने साइबर अपराध के क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 35 को कंप्यूटर में सामान्य दक्षता थी। यह दर्शाता है कि सीसीयू अपनी इष्टतम क्षमता पर कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए योग्यता और प्रशिक्षण के मामले में अनुपयुक्त है।

सीसीयू के आउटपुट के बारे में, यह देखा गया कि अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच रिपोर्ट[53] किए गए 65 मामलों में से, मार्च 2019 तक केवल 10 का ही निस्तारण किया जा सका। इसी तरह, अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच प्राप्त 608 शिकायतों में से 469 मार्च 2019 तक लंबित थीं। यद्यपि, सीसीयू ने मामलों के निपटान न होने से संबंधित रिकॉर्ड/कारणों को प्रस्तुत नहीं किया, यह ध्यान दिया गया कि साइबर संबंधित अपराधों को कुशलता से नियंत्रित करने हेतु सीसीयू में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य जनशक्ति नहीं थी। सरकार

[52] दो एमसीए और तीन बी.टेक थे।

[53] मामले जिनमें प्रथम जांच रिपोर्ट दाखिल किये गये हैं।

साइबर संबंधी मामलों का दक्षतापूर्वक निपटान सुनिश्चित करने के लिए सीसीयू में कर्मियों की तैनाती के लिए न्यूनतम योग्यता और/या संबंधित प्रशिक्षण को मानदंड के रूप में परिभाषित करने पर विचार कर सकती है।

दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया (जून 2020) कि प्रभावशाली पुलिसिंग के लिए साइबर क्राइम यूनिट के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित जनशक्ति होनी अनिवार्य है, और जनशक्ति बढ़ाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जवाब शीघ्र सुधार के लिए वचनबद्धता आश्वस्त नहीं करता है।